Website : www.prsuinv.ac.in E-mail ID- registrarasua@gmail.com

प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0

पत्रांक संख्या– पी0आर0एस0यू0/सम्बद्धता/4298/2021 दिनांक– 29/12/2021

सम्बद्धता आदेश
(पुनरीक्षित)

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा–37 के अधीन विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में तथा इस आदेश में निर्दिष्ट अन्य विशिष्ट अनिवार्य एवं सामान्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–32342/2021 (विकास कुमार पटेल व 64 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 3) में पारित आदेश दिनांक 03.12.2021 तथा मा0 कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 27.12.2021 के अनुपालन में उनके द्वारा प्रेषित आवेदन–पत्र के दृष्टिगत छात्रहित में महाविद्यालय को सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 की सम्बद्धता की कार्योत्तर स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय सम्बद्धता विस्तरण/निरीक्षण शुल्क के रूप में रू0 25,000/– प्रति सत्र की दर से कुल रू0 75,000/– विश्वविद्यालय के खाते में जमा करते हुए उसका साक्ष्य विश्वविद्यालय में उपलब्ध करायेगा। महाविद्यालय को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में बिना सम्बद्धता के छात्रों का प्रवेश कदापि न करें। महाविद्यालय बिना सम्बद्धता के छात्रों का प्रवेश नहीं करेगा, यदि करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए सम्बद्धता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी। इस पत्र में अंकित सभी अनिवार्य शर्तों के अतिरिक्त पूर्व निर्गत संगत सम्बद्धता आदेशों में अंकित शर्तों का अनुपालन करना भी महाविद्यालय का दायित्व होगा तथा अनिवार्य शर्तों में कोई छूट किसी भी महाविद्यालय को स्वीकृत नहीं की जायेगी।

क्र0सं0	महाविद्यालय का नाम/पता	आवेदित पाठ्यक्रम/विषय का नाम
1.	संजीवनी नर्सिंग कालेज सगरा, सुन्दरपुर, लालगंज, प्रतापगढ़	बीएस–सी नर्सिंग

अनिवार्य शर्तें :

1. **महाविद्यालय को उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने से सम्बन्धित शर्ते/दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत सम्बद्धता आदेश में अंकित है, जिसका महाविद्यालय को शत–प्रतिशत निर्धारित समय में अनुपालन करना अनिवार्य होगा।**
2. यह आदेश मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 तथा विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– पीआरएसयू/सम्बद्धता/2021–237 दिनांकः 13 अगस्त, 2021 के अनुसार उपलब्ध कराई गई जाने वाली अद्यतन सूचना के अधीन है।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की उपलब्धता की जांच कराए जाने पर यदि महाविद्यालय में मानकानुसार शिक्षकों की उपलब्धता नहीं पायी जायेगी तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि प्रवेशित विद्यार्थियों की फीस के साथ विद्यार्थियों को उपलब्ध प्रवेश/सीटों की रिक्तियों के अनुसार अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरित करने का आदेश दे और विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत ऐसा आदेश सम्बन्धित महाविद्यालय तथा अन्य सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
4. संस्था की सम्बद्धता अवधि का पुनरीक्षण करने अथवा उसे समाप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कार्य परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।
5. विश्वविद्यालय के निर्देर्शो का अनुपालन करने में विफल रहने पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद महाविद्यालय की सम्बद्धता का प्रत्याहरण कर सकती है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद किसी भी समय किसी भी महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करा सकती है। ऐसी निरीक्षण का शुल्क महाविद्यालय को देना होगा तथा अपनी संस्था को

Website : www.prsuinv.ac.in E-mail ID- registrarasua@gmail.com

प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0

आकस्मिक निरीक्षण के लिए खुला रखना होगा तथा निरीक्षक/निरीक्षक मण्डल द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

6. संस्था सदैव अपने यहाँ राज्य सरकार/यू0जी0सी0/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित रखेगी। शिक्षकों की अनुपलब्धता पाए जाने पर यह मानते हुए कि संस्था में विधिसम्मत् तरीके से पठन–पाठन नही हुआ है, विश्वविद्यालय संस्था के विद्यार्थियों की परीक्षा नही करायेगा।
7. अल्पसंख्यक संस्थाएं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति, अध्ययन नीति, पाठ्यचर्या तथा संस्था के उत्तम प्रबन्ध के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों तथा निर्गत मानकों का अनुपालन करेगी। महाविद्यालय के Mismanagement तथा maladministration की दशा में विश्वविद्यालय महाविद्यालय की जांच करा सकेगा तथा जांच आख्या पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का निर्णय अल्पसंख्यक संस्था पर बाध्यकारी होगा।
8. महाविद्यालय अपने यहां ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लासेज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा तथा नई शिक्षानीति का अनुपालन करेगा।
9. महाविद्यालय अपने यहां लैंगिक भेदभाव निवारण समिति का निर्धारण यू0जी0सी0 के प्राविधानों के अनुसार कर उसकी प्रतिलिपि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा।
10. सभी महाविद्यालय अपनी वेबसाइट का निर्माण कर उस पर महाविद्यालय की भूमि, उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं, शिक्षकों के अनुमोदन पत्र व उनके नाम, स्थायी तथा स्थानीय पता सहित, विद्यार्थियों की कक्षावार सूची, महाविद्यालय के परीक्षा परिणाम आदि सभी का विवरण इस पत्र के निर्गम की तिथि से एक माह में वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगा।
11. महाविद्यालय में यू0जी0सी0/परिनियम के अनुसार निर्धारित शैक्षिक दिवसों की पढ़ाई प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार अतिरिक्त क्लासेज लगाकर उक्त की पूर्ति करना अनिवार्य है।
12. महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतन शिक्षकों को देना होगा।
13. सम्बद्धता शर्तों के उल्लंघन पर सम्बद्धता प्रत्याहरण किया जायेगा।

(एस0 के0 शुक्ल)
कुल सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. परीक्षा नियंत्रक।
2. सहायक कुलसचिव, सम्बद्धता विभाग।
3. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धक/प्राचार्य।
5. कुल सचिव कार्यालय।
6. सम्बन्धित पत्रावली।
7. विश्वविद्यालय वेबसाइट तथा कालेज लागिन पर अपलोड।

कुल सचिव।